
अध्याय 2

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

अध्याय 2 – वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

प्रभावी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करता है कि नीति स्तर पर लिए गए निर्णय प्रशासनिक स्तर पर निधियों के बिना किसी व्यपवर्तन या अपव्यय के सफलतापूर्वक क्रियान्वित होते हैं। यह अध्याय राज्य शासन की आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजट नियमन की पारदर्शिता एवं उसके क्रियान्वयन की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां प्रस्तुत करता है।

राज्य शासन अपने वार्षिक बजट तथा अनुदानों/विनियोगों की 74 मांगों की प्रस्तुति द्वारा राज्य की समेकित निधि में से व्यय के लिए विधायी अनुमोदन प्राप्त करता है। सामान्यतः प्रत्येक विभाग के पास अनुदान के लिए एक मांग होती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभागाध्यक्ष नीति निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए तथा अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक निधि का व्यय करने का उत्तरदायित्व लेता है।

वित्तीय वर्ष के क्रम के दौरान मूल प्रावधानित राशि के आधिक्य में व्यय की पूर्ति के लिए अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान/विनियोग प्रदान किया जाता है। आगे, राज्य शासन वर्ष के दौरान विभिन्न विनियोग की ईकाइयां जहाँ बचत प्रत्याशित हैं से उन ईकाइओं को जहाँ अतिरिक्त व्यय परकल्पित है (उसी अनुदान/विनियोग के भीतर) निधियों को पुनर्विनियोजित/पुनर्आवंटित करती है।

2.2 विनियोगों की लेखापरीक्षा

विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा पारित विनियोग अधिनियम में संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोगों की राशि की तुलना में वित्त वर्ष के लिए शासन के व्यय का विवरण प्रदान करता है। ये लेखे विनियोग अधिनियम द्वारा विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर प्राधिकृत पूँजीगत एवं राजस्व व्यय के सापेक्ष वास्तविक पूँजी एवं राजस्व व्यय को इंगित करते हैं तथा मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, बचतें, अभ्यर्पित राशियां एवं पुनर्विनियोग स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्त लेखे के पूरक हैं।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोजन अधिनियमों के अन्तर्गत दिए गए प्राधिकार के भीतर है तथा संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभारित किये जाने वाली व्यय को इस प्रकार प्रभारित किया जाता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अनुरूप है।

2.2.1 विनियोग लेखे का सारांश

2018–19 के दौरान 74 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है।

तालिका 2.1: मूल/अनुपूरक बजट प्रावधान एवं वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति (₹ करोड़ में)					
व्यय की प्रकृति	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/आधिक्य (+) (प्रतिशत)	समर्पित राशि (प्रतिशत)	31 मार्च 2019 को समर्पित राशि (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6
दत्तमत	I-राजस्व	1,70,758.94	1,28,643.71	(-)42,115.23 (24.66)	23,534.17 (55.88)
	II-पूंजीगत	37,622.21	29,995.66	(-)7,626.55 (20.27)	3,956.15 (51.87)
	III-कर्ज एवं अग्रिम	2,258.69	1,089.66	(-)1,169.03 (51.76)	823.13 (70.41)
योग दत्तमत		2,10,639.84	1,59,729.03	(-)50,910.81 (24.17)	28,313.45 (55.61)
प्रभारित	IV-राजस्व	14,938.76	14,573.48	(-)365.28 (2.45)	57.41 (6.13)
	V-पूंजीगत	226.55	3.94	(-)222.61 (98.26)	200.49 (90.06)
	VI-लोक ऋण-पुनर्भुगतान	12,497.52	13,523.72	(+)1,026.20 (8.21)	0.00
योग प्रभारित		27,662.83	28,101.14	(+)438.31 (1.58)	257.90 (58.84)
महायोग		2,38,302.67	1,87,830.17	(-)50,472.50 (21.18)	28,571.35 (56.61)
					21,102.80 (₹28,571.35 करोड़ का 73.86 प्रतिशत)

नोट: व्यय के वास्तविक आंकड़ों में दत्तमत राजस्व व्यय (₹1,031.59 करोड़), प्रभारित राजस्व व्यय (₹36.39 करोड़) और दत्तमत पूंजीगत व्यय (₹574.35 करोड़) के अंतर्गत वसूलियों को व्यय में से घटाकर समायोजित करते हुए समिलित किया गया है।

(स्रोत: विनियोग लेखे, वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज 2018–19)

₹50,472.50 करोड़ की निवल बचत, राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 70 अनुदानों एवं 37 विनियोजन, पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत 56 अनुदानों एवं छ: विनियोजन में ₹51,501.12 करोड़ की बचत से एक अनुदान एवं एक विनियोजन में ₹1,028.62 करोड़ के आधिक्य व्यय को घटाने के कारण थी। हांलाकि विभागों ने वर्ष के दौरान बचतों (₹28,571.35 करोड़) के 56 प्रतिशत का समर्पण किया, ₹21,102.80 करोड़ (₹28,571.35 करोड़ का 74 प्रतिशत) को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ही समर्पण किया गया था।

तथ्य यह है कि बचत का 43 प्रतिशत (राशि ₹21,901.15 करोड़) को वर्ष के अंत में व्यपगत होने दिया गया था तथा इन बचतों (₹21,102.80 करोड़) के 74 प्रतिशत को वित्त वर्ष के अंतिम दिन ही समर्पित किया गया था, दर्शाता है कि राज्य शासन ने एक ऐसा बजट तैयार किया था जिसे क्रियान्वित करने की क्षमता राज्य शासन के पास नहीं थी तथा/या इनके विभागों ने परिकल्पित समय सीमा के भीतर आवंटित निधियों का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए आधारभूत कार्य नहीं किया था।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत राज्य शासन के लिए यह आवश्यक है कि अनुदानों/विनियोगों से आधिक्य व्यय को राज्य विधानसभा द्वारा नियमित कराया जाए। यद्यपि, यह पाया गया कि राज्य शासन ने 2011–17 की अवधि से संबंधित 10 अनुदानों एवं आठ विनियोगों के आधिक्य व्यय ₹639.70 करोड़ का नियमन नहीं किया। विवरण **परिशिष्ट 2.1** में दिया गया है। 2018–19 के दौरान गृह विभाग (राजस्व दत्तमत) से संबंधित अनुदान संख्या-4

एवं लोक ऋण (पूँजी भारित) के अंतर्गत ₹1,028.62 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था, जैसा कि कंडिका 2.3.1.1 में चर्चा की है। संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए अधिक व्यय की नियमितीकरण की भी आवश्यकता है। आगे, यह संविधान के अनुच्छेद 204 का उल्लंघन है, जो प्रावधान करता है कि इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुरूप राज्य विधान सभा द्वारा कानूनी रूप से किए गए विनियोग के अलावा कोई राशि/धन समेकित निधि से आहरित नहीं की जाएगी। यह बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को हानि पहुँचाता है तथा सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2020) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि लोक लेखा समिति की अनुशंसा अनुसार आधिक्य व्यय का नियमितीकरण किया जा रहा है।

2.3.1.1 वित्त विभाग (लोक ऋण) एवं गृह विभाग (अन्य व्यय) द्वारा आधिक्य व्यय

वित्त विभाग

लोक ऋण के अंतर्गत 2018–19 के दौरान बजट प्रावधान ₹12,497.52 करोड़ के विरुद्ध ₹13,523.72 करोड़ का व्यय किया गया, परिणामस्वरूप ₹1,026.20 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ। ऋण प्रबंधन से संबंधित आधिक्य व्यय के कारण नीचे दिए गए हैं:

- 8.40 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण (एम.पी.एस.डी.एल.) 2018 के मूल प्रावधान ₹1,010 करोड़ के विरुद्ध ₹2,010.25 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया।
- राज्य शासन ने 2018–19 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक से आहरित राशि ₹3,376.38 करोड़ के अर्थोपाय अग्रिम (डब्लू.एम.ए.) का पुर्णभुगतान किया; तथापि इसके लिए बजट में मात्र ₹2,000 करोड़ प्रावधानित था।
- 2018–19 के दौरान राज्य शासन ने केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी किए विशेष प्रतिभूतियों के अन्तर्गत राशि ₹1,885.53 करोड़ के ऋण का भी पुर्णभुगतान किया, जबकि इसके लिए बजट में मात्र ₹1,150 करोड़ प्रावधानित था।

उत्तर में, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने उत्तर (फरवरी 2020) दिया कि आधिक्य 8.40 प्रतिशत एम.पी.एस.डी.एल. 2018 की राशि ₹1,000 करोड़ जो मार्च 2018 में परिपक्व होनी थी के पुनः जारी करने के कारण था, जिसके लिये लोक ऋण के अंतर्गत प्रत्याशित बचत के कारण अनुपूरक में ₹1,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया गया था। आगे, यह भी बताया गया कि आधिक्य व्यय न तो मार्च 2019 के लेखों में दर्शाया गया था और न ही प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय ने इसके बारे में सूचना दी थी। अपर मुख्य सचिव, वित्त ने आश्वस्त किया कि आधिक्य व्यय को लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं के पश्चात् नियमित किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्त विभाग 8.40 प्रतिशत एम.पी.एस.डी.एल. के पुनर्भुगतान की देयता से अवगत था, तथा उसे इसके लिए अनुपूरक प्रावधान बनाना चाहिए था। यह बजट नियंत्रण अधिकारी का प्रमुख उत्तरदायित्व भी है कि वह क्रमिक व्यय का ध्यान रखे तथा सुनिश्चित करे कि इसके व्यय आंकड़ों का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय की लेखा पुस्तिकाओं के साथ किया जावें।

गृह विभाग

अनुदान संख्या 4 में शीर्ष 2235–60–102–6241–दिसंबर 1992 में घटित दंगों में मृत व्यक्तियों की विधवाओं को पेंशन, के अंतर्गत ₹ पाँच लाख के प्रावधान के विरुद्ध ₹3.36 करोड़ का व्यय किया गया था। इसी प्रकार शीर्ष 2235–60–200–0686–सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को सहायता के अंतर्गत ₹ एक करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध ₹13.61 करोड़ का व्यय किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अनुदान संख्या 4 में कुल ₹2.42 करोड़ का आधिक्य हुआ।

उत्तर में गृह विभाग ने बताया (नवम्बर 2019) कि उनके अभिलेखों एवं बजट वितरण की स्थिति के अनुसार अनुदान में बचतें थीं तथा ₹ पाँच लाख के प्रावधान के विरुद्ध ₹2.64 लाख व्यय किया गया था तथा ₹ एक करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध कोई व्यय नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोषालय ने पहले ही 'सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को सहायता एवं दिसंबर 1992 में दंगों में मृत व्यक्तियों की विधवाओं को पेंशन' योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा पेंशन वितरित कर दिया है तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा बैंक स्कॉल एवं आई.एफ.एम.आई.एस. डाटा के आधार पर लेखे समेकित किए गए थे। गृह विभाग को व्यय का निरीक्षण मासिक लेखों के साथ-साथ आई.एफ.एम.आई.एस. दोनों से ही करना चाहिए था। इसे ये भी सुनिश्चित करना चाहिए था कि इसके व्यय आंकड़े प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा पुस्तांकित आंकड़ों से मिलाए गए थे।

गृह विभाग ने जिलाधीश, भोपाल, देवास एवं सतना को आई.एफ.एम.आई.एस. में उपलब्ध आंकड़ों को कोषालय से मिलान करने के लिए निर्देशित (दिसम्बर 2019) किया था, तथापि, इस संबंध में कोई पुष्टिकरण प्राप्त (सितम्बर 2020) नहीं हुआ था।

2.3.2 बचतें

वर्ष 2018–19 के दौरान 61 प्रकरण ऐसे थे जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹10 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, (परिशिष्ट 2.2)। परिशिष्ट 2.3 में 27 अनुदानों/विनियोगों से सम्बन्धित 39 प्रकरणों में बचतों का विवरण दिया गया है जिनमें ₹43,411.37 करोड़ की बचत हुई जहाँ प्रत्येक प्रकरण में ₹100 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक की बचत थी।

2018–19 के दौरान 17 प्रकरणों में बचतें ₹500 करोड़ से अधिक थी जिसका विवरण तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: ₹ 500 करोड़ से अधिक बचतों वाले अनुदानों की सूची					
स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	(₹ करोड़ में) बचत का प्रतिशत
राजस्व-दत्तमत					
1	17—सहकारिता	1,391.24	505.83	885.41	63.64
2	13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास	16,864.45	9,746.14	7,118.31	42.21
3	12—ऊर्जा	16,326.82	9,811.34	6,515.48	39.91
4	22—नगरीय विकास एवं आवास	8,094.92	4,941.02	3,153.90	38.96
5	24—लोक निर्माण कार्य सङ्कें और पुल	1,538.04	998.13	539.91	35.10
6	10—वन	2,359.93	1,600.74	759.19	32.17
7	7—वाणिज्यिक कर	2,814.65	2,026.36	788.29	28.01
8	33—जनजातीय कार्य	3,966.66	2,912.55	1,054.11	26.57
9	40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	3,515.25	2,628.83	886.42	25.22
10	44—उच्च शिक्षा	2,174.06	1,628.77	545.29	25.08
11	27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	11,058.38	8,286.98	2,771.41	25.06
12	19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6,339.28	4,946.13	1,393.16	21.98
13	53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	34,568.78	26,979.08	7,589.70	21.96
14	55—महिला एवं बाल विकास	5,276.57	4,194.34	1,082.23	20.51
पूंजीगत-दत्तमत					
15	22—नगरीय विकास एवं आवास	1,589.98	798.48	791.50	49.78
16	12—ऊर्जा	3,826.83	2,299.12	1,527.71	39.92
17	30—ग्रामीण विकास	3,034.00	1,937.15	1,096.85	36.15

(स्रोत: वर्ष 2018–19 के विनियोग लेखे)

उक्त वर्णित अनुदानों में से तीन प्रकरण ऐसे थे, जिनमें वर्ष 2017-18 के दौरान भी बचतें (₹500 करोड़ से अधिक) हुई थी, जिसका विवरण **तालिका 2.3** में दिया गया है।

तालिका 2.3: बचत दर्शाने वाले अनुदान				(₹ करोड़ में)		
स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	बचतें (₹500 करोड़ से अधिक)		2017-18	2018-19
			2017-18	2018-19		
1	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास (राजस्व दत्तमत)	3,199.77 (38.17)	7,118.31 (42.21)		
2	22	नगरीय विकास एवं आवास (पूँजीगत दत्तमत)	894.34 (57.81)	791.50 (49.78)		
3	30	ग्रामीण विकास (पूँजीगत दत्तमत)	768.29 (23.03)	1,096.85 (36.15)		

(झोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

नोट: कोष्ठक में आंकड़े कुल प्रावधान में से बचत के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

सहकारिता, ऊर्जा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, नगरीय विकास एवं आवास और लोक निर्माण विभाग प्रमुख विभाग हैं जिनमें बचतें हुईं। वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने और भारत सरकार से केन्द्रीय अंश की प्राप्ति न होने के कारण बड़ी बचतें हुईं। ऊर्जा विभाग के प्रकरण में, बचत के लिये विद्युत वितरण कंपनियों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होना बताया गया।

इन अनुदानों के अंतर्गत बड़ी बचत उक्त अवधि के दौरान प्रत्याशित व्यय के अवास्तविक आंकलन और व्यय पर कमज़ोर नियंत्रण को दर्शाती है।

2.3.3 सतत बचतें

यह संज्ञान में आया कि 15 अनुदानों एवं दो विनियोगों के अन्तर्गत 18 प्रकरणों में विगत पाँच वर्षों के दौरान सतत बचतें (₹ एक करोड़ या अधिक तथा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक) ₹1.49 करोड़ से ₹7,118.31 करोड़ के मध्य थी, जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 2.4** में दिया गया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, स्कूल शिक्षा और लोक निर्माण विभाग, प्रमुख विभाग थे जिनमें सतत बचतें हुईं। वर्तमान वर्ष के दौरान ₹150 करोड़ से अधिक सतत बचतों के प्रकरण नीचे **तालिका 2.4** में दिए गए हैं।

तालिका 2.4: सतत बचत दर्शाने वाले प्रमुख विभाग							(₹ करोड़ में)	
स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	बचतों की राशि (कोष्ठकों में कुल अनुदान/विनियोग का प्रतिशत)						
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19		
राजस्व—दत्तमत								
1	13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास	518.65 (21.06)	2,235.89 (63.36)	1,113.97 (26.77)	3,199.77 (38.17)	7,118.31 (42.21)		
2	34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	95.39 (42.19)	67.30 (29.52)	80.97 (29.97)	168.68 (27.58)	254.45 (33.68)		
3	67—लोक निर्माण कार्य—भवन	123.41 (23.45)	203.33 (31.57)	164.28 (24.79)	174.59 (25.53)	183.02 (26.71)		
पूँजीगत—दत्तमत								
4	27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	24.97 (21.44)	129.46 (34.92)	110.37 (33.03)	515.58 (70.24)	263.12 (65.33)		
5	40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	6.12 (49)	47.29 (65.94)	110.15 (69.50)	251.06 (76.82)	357.22 (62.39)		
6	67—लोक निर्माण कार्य—भवन	75.72 (40.33)	68.62 (28.48)	96.78 (33.73)	150.29 (42.94)	150.34 (37.24)		

(झोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

पांच वर्षों से सतत बचतों का कारण मुख्यतः भारत सरकार से केन्द्रीय अंश का प्राप्त न होना, योजनाओं में दिलचस्पी दिखाने वाले लाभार्थियों की संख्या में कमी, भारत सरकार द्वारा निधि के विमुक्त न होने, वित्त विभाग से आहरण पर प्रतिबंध एवं प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी होना था। इन सभी प्रकरणों में लाभार्थी योजना के वांछित लाभों से भी वंचित रह गये।

सतत बचतें इंगित करती हैं कि विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावी नहीं थे और वार्षिक निधि के आवंटन करते समय पिछले वर्षों के रुझानों को ध्यान में नहीं रखा गया।

2.3.4 योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान

वर्ष 2018–19 के दौरान, 94 प्रकरणों में, विभिन्न योजनाओं (प्रत्येक प्रकरण में ₹10 करोड़ या अधिक) के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान कुल ₹15,058.70 करोड़ अप्रयुक्त रहा जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 2.5** में दिया गया है। ऊर्जा, स्कूल शिक्षा और नगरीय विकास प्रमुख विभाग हैं जहाँ महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को अनुदान, शासकीय प्राथमिक शालाओं की स्थापना और मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत राशि ₹7,002 करोड़ का प्रावधान अप्रयुक्त रहा। इनमें से उल्लेखनीय प्रकरण जहाँ अप्रयुक्त बजट प्रावधान ₹100 करोड़ से अधिक था, नीचे **तालिका 2.5** में वर्णित है।

तालिका 2.5: योजनाएं जिनमें ₹100 करोड़ से अधिक प्रावधान अप्रयुक्त रहा						
संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल+पूरक)	व्यय	(₹ करोड़ में) बचत की राशि
1	पी.डी.	लोक ऋण	6003-101-0716- विविध ऋण भुगतान	100.00	0.00	100.00
2	पी.डी.	लोक ऋण	6003-110-0779- कमियों की पूती के लिए अप्रिम	2,000.00	0.00	2,000.00
3	6	वित्त	2070-800-0101-0224- अन्य व्यय	693.73	0.00	693.73
4	7	वाणिज्यिक कर	2030-02-797-0817- पालिका अधिनियम अंतर्गत पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से प्राप्त राशि का निधि में अंतरण	475.00	0.00	475.00
5	10	वन	4406-01-190-5323- मध्यप्रदेश वन विकास निगम	195.00	0.00	195.00
6	12	ऊर्जा	2801-80-101-0101-0688- उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को अनुदान	5,627.00	0.00	5,627.00
7	12	ऊर्जा	6801-205-1201-5523- कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	197.57	0.00	197.57
8	17	सहकारिता	2425-107-0101-9254- सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर व्याज अनुदान	529.20	0.00	529.20
9	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-101-4396- शासकीय प्राथमिक शालाओं की स्थापना	1,355.00	0.00	1,355.00
10	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	4202-01-201-0701-8810— सर्व शिक्षा अभियान	100.00	0.00	100.00
11	30	ग्रामीण विकास	4515-800-0701-9216- प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	100.00	0.00	100.00
12	33	जनजातीय कार्य	2202-01-101-2773- प्राथमिक शालाएँ	204.00	0.00	204.00
13	33	जनजातीय कार्य	2202-01-101-3496- माध्यमिक शालाएँ	198.00	0.00	198.00
14	33	जनजातीय कार्य	2202-02-109-0581- हायर सेकंडरी शालाएँ	138.00	0.00	138.00
15	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0101-2333— एन.बी. कंपनी लिमिटेड का निवेश	300.00	0.00	300.00
16	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-109-0101-2292- उद्यानिकी भावान्तर योजना	250.00	0.00	250.00
17	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3604-198-4610- आतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	109.32	0.00	109.32
18	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3604-198-6299- ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	103.97	0.00	103.97
19	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-1325- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	123.26	0.00	123.26

(स्रोत: वर्ष 2018–19 के विनियोग लेखे)

इन विभागों द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के विशिष्ट कारणों से अवगत नहीं कराया गया, जो इन विभागों के संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा तैयार किये गये असंगत बजट अनुमान को दर्शाता हैं।

2.3.5 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष 2018–19 के दौरान, 51 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में राशि ₹ एक करोड़ या अधिक) में राशि ₹15,442.74 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं हुआ था जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.6** में दिया गया है। महत्वपूर्ण अनुदान/विनियोग जहाँ मूल बजट प्रावधान में ₹100 करोड़ एवं उससे अधिक की बचतें थीं, किन्तु अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया था, निम्न तालिका 2.6 में वर्णित है।

तालिका 2.6: प्रकरण जहाँ मूल बजट प्रावधान में बचतें ₹100 करोड़ या उससे अधिक होते हुए भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया था

(₹ करोड़ में)					
संक्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में बचत	अनुपूरक प्रावधान
क—राजस्व (दत्तमत)					
1	7—वाणिज्यिक कर	2,733.65	2,026.36	707.29	81.00
2	10—वन	2,197.73	1,600.74	596.99	162.21
3	12—ऊर्जा	13,875.29	9,811.34	4,063.95	2,451.53
4	14—पशुपालन	991.87	849.94	141.93	50.00
5	19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5,389.14	4,946.13	443.01	950.14
6	24—लोक निर्माण कार्य— सड़के और पुल	1,505.97	998.13	507.84	32.07
7	27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	9,073.92	8,286.98	786.94	1,984.47
8	29—विधि और विधायी कार्य	1,333.68	1,224.75	108.93	172.98
9	33—जनजातीय कार्य	3,355.26	2,912.55	442.71	611.40
10	34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	646.01	501.10	144.91	109.54
11	39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	1,630.22	1,307.26	322.96	100.00
12	40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	3,216.25	2,628.83	587.42	299.00
13	44—उच्च शिक्षा	1,767.13	1,628.77	138.36	406.93
14	47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	1,161.81	872.37	289.44	106.00
15	49—अनुसूचित जाति कल्याण	1,051.90	777.61	274.29	18.64
16	53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	30,929.44	26,979.08	3,950.36	3,639.34
17	55—महिला एवं बाल विकास	4,702.31	4,194.34	507.97	574.26
18	67—लोक निर्माण कार्य-भवन	640.13	502.20	137.93	45.09
ख—पूँजीगत (दत्तमत)					
19	12—ऊर्जा	32,86.63	2,299.12	987.51	540.20
20	22—नगरीय विकास एवं आवास	1,488.98	798.48	690.50	101.00
21	27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	372.74	139.62	233.12	30.00
22	30—ग्रामीण विकास	2,884.00	1,937.15	946.85	150.00
23	67—लोक निर्माण कार्य-भवन	371.53	253.34	118.19	32.15
ग—राजस्व (प्रभारित)					
24	आई.पी.—ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	12,867.29	12,695.69	221.74	50.14

(स्रोत: वर्ष 2018–19 के विनियोग लेखे)

14 प्रकरणों में राशि ₹18,109.80 करोड़ (प्रत्येक प्रकरण में राशि ₹ एक करोड़ या अधिक) के अनुपूरक प्रावधान में ₹5,692.93 करोड़ की वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध ₹12,416.88 करोड़ अत्यधिक सिद्ध हुए जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 2.7** में दिया गया है।

2.3.6 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग

वर्ष 2018–19 के दौरान, अत्यधिक समर्पण या अपर्याप्त वृद्धि के कारण पुनर्विनियोजन अनुचित सिद्ध हुए और परिणामस्वरूप 10 उप–शीर्षों में ₹201.60 करोड़ के आधिक्य और 64 उप–शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक की ₹2,407.52 करोड़ की बचतें हुईं जैसा कि **परिशिष्ट 2.8** में वर्णित हैं। तीन मामलों में, पुनर्विनियोजन/समर्पण के द्वारा प्रावधानों में कटौती अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि वास्तविक व्यय मूल एवं पूरक प्रावधानों से अधिक था। इसी प्रकार, 10 मामलों में ₹161.97 करोड़ की निधियों का पुनर्विनियोजन ज्यादा सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल/पूरक प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं था।

2.3.7 सारभूत समर्पण

वर्ष 2018–19 के दौरान, 155 उप–शीर्षों में सारभूत समर्पण (कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत या अधिक) राशि ₹7,304.68 करोड़ (कुल प्रावधान ₹9,265.03 करोड़ का 79 प्रतिशत) किया गया, जिसमें 43 उपशीर्षों (₹880.08 करोड़) का 100 प्रतिशत समर्पण सम्मिलित था। विवरण **परिशिष्ट 2.9** में दिया गया है। ऊर्जा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभागों में सारभूत समर्पण ₹500 करोड़ से अधिक था, जो दर्शाता है कि या तो बजट ज्यादा अनुमानित था या कार्यक्रम कार्यान्वयन धीमी गति से हुआ।

2.3.8 समर्पित न की गई प्रत्याशित बचतें

वर्ष 2018–19 के दौरान, अनुदानों/विनियोगों के 26 प्रकरणों में यद्यपि ₹2,569.77 करोड़ (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) की बचतें हुईं, लेकिन व्ययी विभागों द्वारा इनके किसी भी भाग को समर्पित नहीं किया गया था। विवरण **परिशिष्ट 2.10** में दिया गया है।

इसी प्रकार, 94 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचत) में बचत ₹49,220.05 करोड़ में से कुल राशि ₹22,914.46 करोड़ (47 प्रतिशत) समर्पित नहीं की गयी (**परिशिष्ट 2.11**), जो कुल बचत ₹50,472.50 करोड़ का 45 प्रतिशत है।

2.3.8.1 प्रधान महालेखाकार द्वारा स्वीकार न किये गये समर्पण आदेश

राज्य शासन के अनुदेशों (फरवरी 2012) के अनुसार (i) पुनर्विनियोगों/समर्पणों की समस्त स्वीकृतियां वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व जारी की जानी चाहिए एवं उन्हें लेखाओं में समावेशन के लिए यथासमय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए, (ii) योजनाओं के उपयुक्त विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए एवं स्वीकृतियों का योग सही होना चाहिए, (iii) जिन शीर्षों से समर्पण/पुनर्विनियोग स्वीकृत किए गए हैं उनसे संबंधित शीर्षों में प्रावधान उपलब्ध होना चाहिए।

लेखापरीक्षा समीक्षा में परिलक्षित हुआ कि ₹21,901.15 करोड़ के समर्पित न किए गए प्रावधान में 25 समर्पण के लिए स्वीकृतियां सम्मिलित थीं जिन्हें 20 अनुदानों/विनियोगों के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा जारी किया गया था जो कि राज्य शासन के अनुदेशों का उल्लंघन था। परिणामस्वरूप, वर्ष 2018–19 के दौरान ₹2,871.57 करोड़ के समर्पण मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2018–19 की समाप्ति के पश्चात् स्वीकृतियाँ जारी होने तथा प्रधान महालेखाकार कार्यालय में स्वीकृतियाँ विलम्ब अर्थात् लेखे बन्द हो जाने एवं अंतिम रूप दिये जाने के बाद प्राप्त होने के कारण प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखाओं में शामिल किए जाने के लिए स्वीकार नहीं किये जा सके (विवरण **परिशिष्ट 2.12** में दिया गया है)।

2.3.9 व्यय का गलत वर्गीकरण

भारत सरकार लेखा मानक-2 (आई.जी.ए.एस-2) के अनुसार सहायता अनुदान पर किया गया व्यय स्वीकृतिकर्ता के लेखे में राजस्व व्यय के रूप में एवं प्राप्तकर्ता के लेखे में राजस्व प्राप्तियों के रूप में अभिलिखित किया जाता है। स्थायी प्रकृति की सामग्री मूर्त परिसम्पत्तियों को बढ़ाये जाने अथवा आवर्ती दायित्वों को कम करने के उद्देश्य से किये गये व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है।

तथापि, 2018–19 के दौरान सहायता अनुदानों में से व्यय ₹541.28 करोड़ एवं ₹742.37 करोड़ की राशि का अन्य व्यय (कुल ₹1,283.65 करोड़) राज्य शासन द्वारा पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत बुक किए गए थे, जबकि इन्हें राजस्व व्यय के रूप में पुस्तांकित किया जाना चाहिए था। पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए ₹207.94 करोड़ का सहायता अनुदान पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत पुस्तांकित किया गया था, जो आई.जी.एस.एस.-2 के अनुसार लेखा के राजस्व शीर्ष से डेबिट किया जाना चाहिये था। विवरण **परिशिष्ट 2.13** में दिया गया है।

इसी प्रकार, ₹288.73 करोड़ एवं ₹5.18 करोड़ (कुल ₹293.91 करोड़) क्रमशः ‘मशीनें’ एवं ‘वृहद निर्माण कार्य’ राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया गया, जिसे पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना था। विवरण **परिशिष्ट 2.14** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2020) के दौरान अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि वित्तीय वर्ष 2020–21 का बजट तैयार करते समय सुधारात्मक कार्यवाई की जाएगी।

2.3.10 व्यय की अत्यधिकता

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.13 के अनुसार, व्यय की अत्यधिकता विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों में साधारणतया वित्तीय अनियमितता माना जाएगा।

यह संज्ञान में आया कि मार्च 2019 के दौरान आठ अनुदानों/विनियोगों के 14 प्रकरणों³⁴ में ₹5,296.28 करोड़ का 100 प्रतिशत व्यय किया गया था। विवरण **परिशिष्ट 2.15** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2020) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि नई योजनाओं में केन्द्र सरकार से राशि की प्राप्ति के बाद विभाग द्वारा मार्च में निधियां आहरित की गयी। आगे, यह भी कहा गया कि योजनाओं पर स्थायी वित्त समिति (एस.एफ.सी.)/व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) की बैठक के बाद विभाग द्वारा कार्यवाही की गयी।

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 1 फरवरी 2019 तक मौजूदा/नई योजनाओं में कुल बजट प्रावधान पुर्नविनियोजन सहित उपलब्ध कराया गया था।

2.3.11 निधियों का आहरण एवं सिविल जमा में रखना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 284 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो।

वर्ष 2018–19 के दौरान, 31 मार्च 2019 को धनराशि ₹62.19 करोड़ आहरित की गयी थी एवं लेखे में संबंधित केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत अंतिम व्यय दर्शाते हुए 8443–सिविल जमा-800–अन्य जमा में अंतरित की गयी, जैसा कि **तालिका 2.7** में दर्शाया गया है। इस प्रकार, केन्द्रीय निधियों को व्यपगत होने से बचाने के लिए राशियों को आवश्यकता से पूर्व आहरित किया गया, जो कि संहितागत प्रावधान के प्रतिकूल है।

³⁴ जहां अंतिम तिमाही में व्यय ₹10 करोड़ से अधिक हुआ।

तालिका 2.7: निधि का 8443-सिविल जमा—800—अन्य जमा में अंतरण (₹ करोड़ में)					
सं. क्र.	अनुदान संख्या और नाम	विस्तृत शीर्ष तक लेखाओं का शीर्ष एवं योजना का नाम	कुल बजट प्रावधान (मूल+पूरक)	किया गया व्यय	8443-सिविल जमा 800—अन्य जमा में अंतरित राशि
1	55—महिला एवं बाल विकास	2235—02—102—0701—0658— आंगनवाड़ी सेवायें	253.32	253.32	22.21
2	55—महिला एवं बाल विकास	2235—02—102—0702—0658— आंगनवाड़ी सेवायें	187.66	187.66	10.00
3	55—महिला एवं बाल विकास	2235—02—102—0703—0658— आंगनवाड़ी सेवायें	313.42	312.55	29.98
योग			754.40	753.53	62.19

(स्रोत: वर्ष 2018–19 के विनियोग लेखे)

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2020) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जाएंगे।

2.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा का परिणाम

2018–19 के दौरान लेखापरीक्षा में विस्तृत समीक्षा के लिए दो अनुदानों—अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सङ्केत एवं पुल तथा अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य, का चयन निर्धारित बजटीय प्रक्रियाओं के साथ निधियों का निरीक्षण, नियंत्रण तंत्र एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की अनुपालना की समीक्षा करने के लिए किया गया था। लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख आगे की कंडिकाओं में किया गया है। मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल अनुदान संख्या 24 के बजट नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) हैं तथा आयुक्त, जनजातीय विकास (सीटीडी), भोपाल, निदेशक, जनजातीय क्षेत्र विकास योजना (टीएडीपी), भोपाल तथा निदेशक, अनुसंधान एवं विकास (डीआरडी), भोपाल, मध्य प्रदेश अनुदान संख्या 33 के बजट नियंत्रण अधिकारी हैं।

वर्ष 2018–19 के लिये अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग द्वारा बजट अनुमान की प्रस्तुति के लिए समय—सूची के संबंध में जारी निर्देशों (अक्टूबर 2017) के अनुसार प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग को बजट अनुमान दिनांक 7 नवम्बर 2017 को या उससे पूर्व प्रस्तुत किए जाने थे। तथापि, लोक निर्माण विभाग द्वारा बजट अनुमान वित्त विभाग को दिनांक 15 दिसम्बर 2017 को प्रस्तुत किए गए थे।

2.4.1 सारांशीकृत स्थिति

वर्ष 2018–19 के दौरान अनुदान संख्या 24 एवं 33 के अंतर्गत बजट की राशि, किये गये व्यय एवं बचतों के विवरण तालिका 2.8 में सारांशीकृत किए गए हैं।

तालिका 2.8: सारांशीकृत विनियोग (₹ करोड़ में)						
अनुदान का विवरण	अनुभाग	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल अनुदान	व्यय	बचतें
अनुदान संख्या 24	राजस्व (दत्तमत)	1,505.97	32.07	1,538.04	998.13	539.91
	पूंजीगत (दत्तमत)	6,028.50	1,597.00	7,625.50	6,891.81	733.69
अनुदान संख्या 33	राजस्व (दत्तमत)	3,355.26	611.40	3,966.66	2,912.55	1,054.11
	पूंजीगत (दत्तमत)	1,281.00	0.00	1,281.00	991.15	289.85
योग		12,170.73	2,240.47	14,411.20	11,793.64	2,617.56

(स्रोत: विनियोग लेखे वर्ष 2018–19)

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि, कुल बजट प्रावधान ₹14,411.20 करोड़ के विरुद्ध ₹2,617.56 करोड़ (18.16 प्रतिशत) की संपूर्ण बचत थी। ₹2,617.56 करोड़ की बचत में से

₹1,594.02 करोड़ (61 प्रतिशत) एवं ₹1,023.54 करोड़ (39 प्रतिशत) की बचतें क्रमशः राजस्व अनुभाग एवं पूँजीगत अनुभाग में हुईं। आगे, राजस्व (दत्तमत) के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए ₹643.47 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि व्यय, मूल प्रावधान से भी कम था।

इन अनुदानों के अंतर्गत राशि के समर्पण और पुनर्विनियोजन का कारण नियमित वेतनमान से शिक्षक संवर्ग के वेतन का आहरण न होना और चौथी तिमाही में 30 प्रतिशत तक धन के आहरण पर प्रतिबंध होना था। इन अनुदानों के अंतर्गत शीर्षों में हुए अंतिम बचतों के कारण प्रदान नहीं किये गए।

2.4.2 सारभूत बचतें

2018–19 के दौरान लेखापरीक्षा में देखा गया कि 36 प्रकरणों में ₹2,058.02 करोड़ की सारभूत बचतें थी, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹10 करोड़ या उससे अधिक तथा कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत या उससे अधिक थी। विवरण **परिशिष्ट 2.16** में दिया गया है।

उत्तर में, बी.सी.ओ. (ई.आई.सी., लोक निर्माण विभाग) ने बताया कि बजट अनुमान विभाग में चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर तैयार किया गया था तथा वह ठेकेदार के देयकों के विरुद्ध भुगतान संचालक, कोष एवं लेखा द्वारा व्यय के संबंध में समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों की अनुपालन के कारण नहीं किया जा सका। आगे, यह भी बताया गया कि वित्त विभाग द्वारा त्रैमासिक व्यय पर अधिकतम वित्तीय सीमा अधिरोपित करने के कारण राशि का प्रयोग नहीं किया जा सका।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बजट अनुमान यथार्थ तौर पर तैयार किया गया था। योजनाओं के अंतर्गत बजट एवं व्यय का बी.सी.ओ. स्तर पर ठीक से जांच नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं के अंतर्गत सारभूत बचतें हुयीं।

2.4.3 समर्पित न की गयी प्रत्याशित बचतें

मध्य प्रदेश बजट मैन्युअल की कंडिका 26.9 के अनुसार व्ययों में प्रत्याशित बचतों का विवरण बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा वित्त विभाग को 15 जनवरी तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया कि अनुदान संख्या 33 में बचतें ₹1,252.94 करोड़ (कुल प्रावधान का 24 प्रतिशत) में से ₹1,065.84 करोड़ (कुल बचत का 85 प्रतिशत) 15 जनवरी के पश्चात् समर्पित किया गया तथा ₹187.10 करोड़ (कुल बचत का 15 प्रतिशत) की निवल बचत वर्ष के अंत में समर्पित नहीं किया गया। यह बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है, जिसके परिणामस्वरूप 2018–19 के दौरान निधियां राज्य के अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए अप्रयोज्य रहीं। विवरण **तालिका 2.9** में दिया गया है।

तालिका 2.9: समर्पित नहीं की गई प्रत्याशित बचतों को दर्शाने वाला विवरण							
(₹ करोड़ में)							
संक्र.	बी.सी.ओ.कोड	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+अनुपूरक +पुनर्विनियोग)	व्यय	बचत	समर्पण की राशि (15 जनवरी के पश्चात)	समर्पित नहीं की गई बचत की राशि
1	2506	2202	2,309.88	1,678.72	631.16	567.02	64.14
2	2506	2225	1,514.11	1,171.45	342.66	219.70	122.96
3	2506	2215	20.88	20.03	0.85	0.85	0.00
4	2502	2225	34.09	25.77	8.32	8.32	0.00
5	2505	2225	16.11	7.69	8.42	8.42	0.00
6	2506	4202	63.00	53.36	9.64	9.64	0.00
7	2506	4225	712.00	611.06	100.94	100.94	0.00
8	2502	4225	480.40	329.45	150.95	150.95	0.00
योग			5,150.47	3,897.53	1,252.94	1,065.84	187.10

(स्रोत: बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

इस ओर इंगित किए जाने पर, संचालक, टी.ए.डी.पी. ने बताया कि आवंटन के विरुद्ध व्यय कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा नहीं किया जा सका, इसलिए वित्त वर्ष के अंत में बचतें समर्पित कर दी गई थी।

2.4.4 निधियों के पुनर्विनियोग के लिए अनावश्यक/अत्यधिक प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205(1)(क) के अनुसार जब विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत राशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रयोजन के लिए किसी विशिष्ट सेवा हेतु खर्च, किया जाता है या जब वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ नई सेवाओं पर अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है, जिस पर वार्षिक वित्तीय विवरण में विचार नहीं किया गया है, तो बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा तर्कसंगतता के साथ अनुपूरक/पुनर्विनियोग अनुदान के लिए मांग तैयार की जा सकती है।

अनुदान संख्या 24 के एक प्रकरण में तथा अनुदान संख्या 33 के पाँच प्रकरणों में अनुदानों/विनियोगों के वर्ष के दौरान प्राप्त क्रमशः ₹15 करोड़ एवं ₹2.85 करोड़ के प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक साबित हुए, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था। विवरण परिशिष्ट 2.17 (क) में दर्शाया गया है।

अनुदान संख्या 24 के दो प्रकरणों तथा अनुदान संख्या 33 के 16 प्रकरणों में अनुदानों/विनियोगों के क्रमशः ₹7.29 करोड़ एवं ₹28.07 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध ₹49.05 करोड़ एवं ₹45.79 करोड़ का पुनर्विनियोग प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹41.76 करोड़ एवं ₹17.72 करोड़ की बचत हुई, जिसका उपयोग अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता था। विवरण परिशिष्ट 2.17 (ख) में दर्शाया गया है।

2.4.5 कार्यान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय सहायता निधि कम जारी किया जाना

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, राज्य शासन जनजातीय कार्य मंत्रालय (एम.ओ.टी.ए.), परियोजना मूल्यांकन समिति (पी.ए.सी.)/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाने वाली गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को विशिष्ट केन्द्रीय सहायता निधि का तत्काल अंतरण सुनिश्चित करेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भारत सरकार ने जनजातीय विकास के लिए एम.ओ.टी.ए. द्वारा अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश के जनजातीय विभाग को राशि ₹477.75 करोड़³⁵ जारी की थी किन्तु संचालक, जनजातीय विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को

³⁵ अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत ₹228.08 करोड़, विशिष्ट केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.) के अंतर्गत ₹169.69 करोड़ और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.वी.टी.जी.) के अंतर्गत ₹ 79.98 करोड़

मात्र ₹390.70 करोड़³⁶ जारी किया गया था। आगे, निधियों की गैर-उपयोगिता के विश्लेषण पर **कंडिका 3.11.1** में प्रकाश डाला गया है।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2020) के दौरान अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने बताया कि संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.5 निष्कर्ष

2018–19 के दौरान राज्य शासन का बजटीय अनुमान वास्तविक नहीं था तथा बजटीय अनुमान वास्तविकता से काफी भिन्न था तथा बजट के निरीक्षण एवं कार्यान्वयन पर नियंत्रण अपर्याप्त था।

अनुपूरक अनुदान/विनियोग बिना पर्याप्त औचित्य के प्राप्त किया गया था तथा बड़ी मात्रा में राशि बिना बजट प्रावधान के खर्च की गई थी। विगत कुछ वर्षों से प्रत्येक वर्ष राज्य शासन के वित्त पर नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में इस प्रकरण को सूचित करने के बावजूद भी राज्य शासन इस संबंध में सुधारात्मक उपाय करने में विफल रही।

वर्ष के दौरान बचतें बजट की 21 प्रतिशत थी; तथापि, नियंत्रण अधिकारियों ने निधियां समय पर समर्पित नहीं की। विभागों को सतत बचतों के विरुद्ध सचेत नहीं किया गया; न ही उनके आवंटनों को अवशोषित करने की उनकी योग्यता के अनुरूप उनके बजट को परिवर्तित किया गया।

प्रकरण को वित्त विभाग को कई बार सूचित करने तथा राज्य शासन के वित्त पर, नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में उल्लेख करने के बावजूद भी राज्य शासन ने पूँजीगत अनुभाग में राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय को गलत वर्गीकृत करना जारी रखा, जिसने राजस्व अधिशेष एवं अन्य राजकोषीय मापदंडों को प्रभावित किया।

2.6 अनुशंसाएं

- i) राज्य शासन को विभागों की जरूरतों के विश्वसनीय अनुमानों एवं आवंटित संसाधनों को उपयोग करने की उनकी क्षमता के आधार पर एक वास्तविक बजट तैयार करने की आवश्यकता है; वित्त विभाग को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रावधानों का उपयोग न होने के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए तथा स्थिति को सुधारने के उपाय करने चाहिए।
- ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुदान/विनियोग के अंतर्गत बचतें नियंत्रित हो तथा प्रत्याशित बचतों की पहचान एवं समर्पण निर्दिष्ट समय के भीतर हो एवं बजट के उचित कार्यान्वयन एवं निरीक्षण को लागू करने के लिए शासन द्वारा एक उपयुक्त नियंत्रण प्रणाली गठित किए जाने की आवश्यकता है।
- iii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुपूरक अनुदान/पुनर्विनियोग के अनावश्यक प्रावधानों से बचा जाएं, राज्य शासन द्वारा व्यय का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया जाना चाहिए तथा शासन को अपने व्यय आंकड़ों का मिलान मासिक आधार पर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तिका से करना चाहिए।
- iv) वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा समर्पण के लिए स्वीकृति आदेश निर्धारित दिशानिर्देशों के अंतर्गत सामयिक, पूर्ण एवं वैध हो।
- v) राज्य शासन को संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत सहायता अनुदानों एवं अन्य व्यय के सही वर्गीकरण से संबंधित आई.जी.ए.एस.–2 की अनुपालना के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

³⁶ अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत ₹189.41 करोड़, एस.सी.ए. के अंतर्गत ₹167.69 करोड़ और पी.वी.टी.जी. के अंतर्गत ₹33.61 करोड़